कार्यालय मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

पत्रांक- 2351 /एटा/19809/2016, दिनांक, लखनऊ, मई 16 , 2017

सेवा में,

प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन,
वन एवं वन्यजीव अनुभाग-2,
लखनऊ।

विषय : एटा-अलीगज मार्ग (डक्त.98) किमी0 चैनेज 23.978 की बायीं पटरी पर ग्राम-सोंसा के गाटा सं0-680स में इण्डियन ऑयल कार्पो0 लि0 द्वारा विकसित किये जा रहे रिटेल आउटलेट के सम्पर्क मार्ग निर्माण हेतु 0.07291 हे0 संरक्षित वनभूमि के गैरवानिकी प्रयोग एवं उस पर अवस्थित 03 वृक्षों के पातन की अनुमति।

सन्दर्भ: उ0प्र0शासन का पत्रांक-पी-20/14-2-2017-800(15)/2017, दि0 21.04.2017

महोदय,

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र का अवलोकन करने की कृपा करें, जिसके द्वारा प्रकरण में कतिपय सूचनाओं एवं अभिलेखों की अपेक्षा की गयी थी। उक्त सूचनायें एवं अभिलेख सम्बन्धित कार्यालय से अपेक्षित थे।

उक्त के क्रम में वन संरक्षक, अलीगढ़ के पत्रांक-3016/14-1, दिनांक 08.05.2017 द्वारा बिन्दुवार सूचना एवं अभिलेख इस कार्यालय को प्रेषित की गयी हैं, जिसकी एक प्रति एतत्सह संलग्न कर इस अनुरोध के साथ प्रेषित है कि प्रकरण में स्वीकृति निर्गत करने की कृपा करें।

संलग्नक: उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

(वाई0एस0के0शेषुकुमार)
मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980
उ0प्र0, लखनऊ।

पत्रांक- / ,उक्तदिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :

1- वन संरक्षक, अलीगढ़ वृत्त, अलीगढ़।
2- प्रभागीय निदेशक, सा0वा0प्रभाग, एटा।

(वाई0एस0के0शेषुकुमार)
मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980
उ0प्र0, लखनऊ।